उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2
संख्या-26/2020/350/18-2-2020-6(ल0उ0)/2020
लखनऊः दिनांकः 14 जुलाई,2020

कार्यालय-ज्ञाप

शासकीय विभागों में सामग्री के क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु शासनादेश संख्या 11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23-8-2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। जेम पोर्टल पर सामग्री के क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु शासन स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा गठित की गयी क्रय समितियों की बैठक हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग की ओर से सदस्य नामित करने के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-4-2020 को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

2- अतएव जेम पोर्टल पर शासकीय सामग्री के क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु शासन स्तर पर विभागों द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता वाली समितियों की बैठकों में विभाग की ओर से सदस्य के रूप में विशेष सचिव एवं शेष अन्य की अध्यक्षता में गठित समितियों में प्रतिभाग करने हेतु संयुक्त आयुक्त/प्रभारी, जेम सेल व अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्मय उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को नामित किया जाता है।

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
(3) अपर निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निजी सचिव, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) संयुक्त आयुक्त/प्रभारी, जेम सेल, कैसरबाग, लखनऊ।

आज्ञा से

बृजेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in